

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति मीना
2. श्रीलाल पुत्र नारायण मीना
3. फरेबी पुत्र नारायण मीना
4. मदनमोहन पुत्र नारायण मीना
निवासीयान नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. विशनबाई बेवा रामेश्वर
2. शकुन्तला पत्नि रामकेश
3. गौरव पुत्र रामकेश
4. अशोक पुत्र रामेश्वर
5. अरविन्द पुत्र रामेश्वर
समस्त जातियान मीना निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
तहसीलदार टोडाभीम।
शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थिति:- श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट वादीगण

श्री सुनील कुमार जिन्दल प्रतिवादीगण 1 ता 5

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक:- 25/07/2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली में राजी खनन 73/0.25, 75/0.36, 132/0.10, 171/0.17, 172/0.17 कुल कितना 6.05 हेक्टर का जमीन का कब्जा 1.05 हेक्टर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में प्रतिवादी नं० 1 ता 5 के नाम

दर्ज है। जो किसी बिना आधार व अधिकार के प्रतिवादी न0 6 के यहाँ रहन रख दी है। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है तथा आ भी वादीगण वर्णित आराजीयात पर काबिज एवं दखील है। एवं काश्त कर रहे है।

यह है कि वर्णित आराजीयात की खातेदारी वादीगण के नाम हमेशा से रही है तथा उक्त आराजी वादीगण के नाम सम्वत 2056-57 राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा चौसाला जमाबन्दी कम्प्यूटराईज्ड करते समय राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी न्यायालय के आदेश, बिना किसी विधिक दस्तावेज के साजिशाना तरीके से जमाबन्दी सम्वत 2060-63 की जमाबन्दी में वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात में से वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम कर दी जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादी न0 1 ता 5 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है और नाही कभी कब्जा काश्त रहा है और नाही आज है।

बांका दिनांक 01.07.2018 का है कि वादीगण अपनी आराजी में खड़ी फसल की देखभाल करने लगे तो प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 आये और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ अब इस आराजी को हम काश्त करेंगे तथा हम भी दरोह करेंगे क्योंकि उक्त आराजी हमारे नाम खातेदारी है। इस पर वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी कर तहसील में रिकार्ड की नकल लेने पर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों की साजिश का पता चला है। इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी न0 6 से उक्त आराजी की खातेदारी दुरुस्त कर वादीगण के नाम खातेदारी करने का निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश लाने को कहा है इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजीयात ख0न0 73/0.25, 75/0.36, 132/0.10, 171/0.17, 172/0.17 कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 ग्राम पहाडी से प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 की खातेदारी हजफ फरमाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे, आराजी को खुर्द-बुर्द नहीं करे, आराजी को रहन व्यय नहीं करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया, प्रतिवादी न0 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 5 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसे विधि पूर्वक प्रतिवादी न0 7 के यहाँ रहन रखी है वादीगण वर्णित आराजीयात के साबिक रिकार्ड में खातेदार काश्तकार नहीं थे। इसलिये चौसाला जमाबन्दी बनाते समय प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जिसमें प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 द्वारा सरसो व गेहें की फसल काश्त की है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी न0 6 तहसीलदार है जिसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया है। दावा पेश करने से पूर्व वादीगण को धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है। ना ही न्यायालय से वादपत्र पेश करने की अनुमति ली गई है। इसिलिये वादीगण का दावा वार्ड वाई लॉ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की

जमाबन्दी मे वादीगण की तथाकथित खातेदारी को हजफ करना बताया है। जबकि वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र सन 2019 मे यह दावा पेश किया है जो वादीगण का दावा म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी न0 5 की और से जरिये नायब तहसीलदार बालघाट ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता न0 680 मे अरविन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, अशोक पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, रामकेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, विशनबाई पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/4, जाति मीना सा.देह राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा टोडाभीम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2056-59 के खाता न0 661 मे वर्णित आराजी श्रीलाल, फरेबी, मदन, रामस्वरूप पि0 नारायण सा.नागलशेरपुर दर्ज रिकार्ड है।

जमान्दी चौसाला सम्वत 2060-63, 2064-67, 2068-71, 2072-75, 2073-76 मे आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 मे अरविन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, अशोक पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, रामकेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, विशनबाई पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/4, जाति मीना सा.देह राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा टोडाभीम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादपत्र मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया यह है कि ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 73, 75, 132, 171, 172 वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी है जमाबन्दी रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी है प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर वादीगण अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। (जिम्मेवादीगण)
2. आया वर्णित उक्त आराजीयात के कब्जेकाश्त मे, रहन व्यय नही करने के लिए प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है। (जिम्मेवादीगण)
3. आया यह है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी से वादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वादीगण का दावा खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादीगण न0 1 ता 5)
4. आया इन्द्राज दुरुस्ती के प्रकरण मे राज्य सरकार को धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस दो माह पूर्व नही दिया गया है नोटिस दिया ही नही है वादपत्र मे आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण न0 1 ता 5)

वादपत्र के समर्थन मे वादी रामस्वरूप ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण वकील ने जिरह पूर्ण की, ग्राम पहाडी की जमाबन्दी सम्वत 2056-59 प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्वत 2060-63 प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्वत 2072-75 प्रदर्श-3 पेश किये है।

उभयपक्षकारान वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है जिस पर वादीगण

वर्णित आराजीयात पर काबिज एवं दखील है। एवं काश्त कर रहे है। वर्णित आराजीयात की खातेदारी वादीगण के नाम हमेशा से रही है तथा उक्त आराजी वादीगण के नाम सम्वत 2056-57 राजस्व रिकार्ड मे अंकित है जिसे राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी न्यायालय के आदेश, बिना किसी विधिक दस्तावेज के साजिशाना तरीके से जमाबन्दी सम्वत 2060-63 की जमाबन्दी मे वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मे से वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम कर दी जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादी न0 1 ता 5 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है और नाही कभी कब्जा काश्त रहा है और नाही आज है। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 ग्राम पहाडी से प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 की खातेदारी हजफ फरमाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नहीं करे, आराजी को खुर्द-बुर्द नहीं करे, आराजी को रहन व्यय नहीं करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसमे प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 द्वारा सरसो व गेहूँ की फसल काश्त की है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी न0 6 तहसीलदार है जिसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया है। दावा पेश करने से पूर्व वादीगण को धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है। इसिलये वादीगण का दावा वार्ड वार्ड लॉ होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इस बिना पर वादीगण का दावा म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी न0 5 पैरोकार सरकार ने जबाब मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता न0 680 मे अरविन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, अशोक पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, रामकेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, विशनबाई पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/4, जाति मीना सा.देह राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा टोडाभीम के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2056-59 के खाता न0 661 मे वर्णित आराजी श्रीलाल, फरेबी, मदन, रामस्वरूप पि0 नारायण सा.नागलशेरपुर दर्ज रिकार्ड है। उसके बाद जमान्दी चौसाला सम्वत 2060-63, 2064-67, 2068-71, 2072-75, 2073-76 मे आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 मे अरविन्द पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, अशोक पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, रामकेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4, विशनबाई पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/4, जाति मीना सा.देह राहिन बी. आर.के.जी.बी. शाखा टोडाभीम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादपत्र मे तनकीवार निर्णय इस प्रकार है कि:-

1. तनकी न0 1:- पत्रावली मे शामिल ग्रम पहाडी की जमाबन्दी सम्वत 2056-59 मे खाता न0 661 मे वर्णित आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 मे वादीगण श्रीलाल, फरेबी, मदन, रामस्वरूप पि0 नारायण सा.नागलशेरपुर दर्ज रिकार्ड है, तथा पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2060-63 प्रदर्श-2 व जमाबन्दी सम्वत 2072-75 प्रदर्श-3 अनुसार वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.05 है0 मे विशनबाई


- बेवा रामेश्वर, रामकेश, अशोक, अरविन्द पि. रामेश्वर हि.ब. राहिन बी.आर.के.जी.बी. टोडाभीम मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2056-59 में दर्ज वादीगण के नाम दर्ज आराजी जमाबन्दी सम्वत 2060-63 में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी किस प्रकार दर्ज हुई है जिसका प्रतिवादी न0 1 ता 5 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है उक्त तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 निर्णित की जाती है।
2. तनकी न0 2:- जमाबन्दी सम्वत 2056-59 में खाता न0 661 में वर्णित आराजी कुल कित्ता 5 कुल रकवा 1.05 है0 में वादीगण श्रीलाल, फरेबी, मदन, रामस्वरूप पि0 नारायण सा.नागलशेरपुर दर्ज रिकार्ड होने से वादीगण, प्रतिवादी न0 1 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है उक्त जमाबन्दी अनुसार यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 निर्णित की जाती है।
 3. तनकी न0 3 :- पत्रावली में शामिल जमाबन्दीयो अनुसार पूर्व में वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से तथा प्रतिवादी न0 1 ता 5 की खातेदारी तो साबित है लेकिन कब्जे के संबध में कोई कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है उक्त तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 निर्णित की जाती है।
 4. तनकी न0 4:- वादीगण द्वारा वादपत्र का प्रकार इन्द्राज दुरुस्ती का नहीं होकर घोषणा खातेदारी का साबित है इसलिये राज्य सरकार को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया जाना उचित नहीं पाये जाने से यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 निर्णित की जाती है।

अतः उक्त तनकीवार निर्णय अनुसार प्रतिवादी न0 1 ता 5 तनकी न0 1 ता 4 को साबित नहीं कर पाये है इसलिये वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 73/0.25, 75/0.36, 132/0.10, 171/0.17, 172/0.17 कुल कित्ता 5 कुल रकवा 1.05 है0 में जमाबन्दी में दर्ज प्रतिवादीगण खातेदार का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/05 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली